195

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–04
संख्या– /XVII-4/2017–243(स.क.)2002 टी.सी.–I
देहरादून : दिनांक 17 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (अधिनियम 33 वर्ष 1989) (समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की सहमति से इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनार्थ, राज्य के प्रत्येक जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत **विशेष न्यायालय** के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित नेगी)
सचिव।

संख्या– 1 02 /XVII-4/2017–243(स.क.)2002 टी.सी.–I, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महानिबन्धक, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून के सहायक,
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला बार काऊन्सिल उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति की 50 प्रतियां अगले संस्करण में प्रकाशित कर उपलब्ध करायें।
16. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
17. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।